क्रम-संख्या—245

रजिस्ट्रेशन नम्बर—जी०—11/लाई०—
न्यूज पेपर/91/05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 अक्टूबर, 2006
कार्तिक 4, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1295/सात-वि-1—01(क) 37-2006
लखनऊ, 26 अक्टूबर, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 23 अक्टूबर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979 की धारा 3-क का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 की धारा 3-क में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में शब्द "एक रुपया पचास पैसे" के स्थान पर शब्द "तीन रुपये" रख दिये जाएंगे।

उद्देश्य और कारण

राज्य में मनोरंजनों, आमोदों पर और कतिपय प्रकार के पण पर करों से सम्बन्धित विधियों को समेकित एवं संशोधित करने के लिये उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3-क में अन्य बातों के साथ-साथ किसी सिनेमा के मालिक को, ऐसे सिनेमा में मनोरंजन के लिये प्रवेश हेतु भुगतान करने वाले व्यक्ति से सिनेमा परिसर के अनुरक्षण के लिये एक रुपये पचास पैसे का अतिरिक्त प्रभार वसूल करने के लिये प्राधिकृत करने की व्यवस्था है। उक्त प्रभार की धनराशि में वृद्धि करने के लिये सिनेमा मालिकों की लगातार मांग पर यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त प्रभार की धनराशि को एक रुपये पचास पैसे से बढ़ाकर तीन रुपये किये जाने के लिये उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
राज मणि चौहान,
प्रमुख सचिव।

No. 1295/VII-V-1–01(Ka) 37-2006
Dated Lucknow, October 26, 2006

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Amod Aur Pankar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 31 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 23, 2006 .

THE UTTAR PRADESH ENTERTAINMENTS AND BETTING TAX (AMENDMENT) ACT, 2006

(U.P. ACT No. 31 OF 2006)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty seventh Year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 2006.

Amendment of section 3-A of U.P. Act no. 28 of 1979

2. In section 3-A of the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979 in sub-section (1), in clause (a) *for* the words "one rupee and fifty paise" the words "three rupees" shall be *substituted*.

STATEMENT OF OBJECT AND REASON

The Uttar Pradesh Entertainment and Betting Tax Act, 1979 (U.P. Act no. 28 of 1979) has been enacted to consolidate and amend the laws relating to taxes on entertainments, amusements and on certain forms of betting in the State. Section 3-A of the said Act *inter alia* provides for authorizing the proprietor of a cinema to realize extra charge of one rupee and fifty paise for the maintenance of the cinema premises from the person making payment for an admission to an entertainment in such cinema. On the persistent demand of the proprietors of the cinemas for enhancing the amount of the said charge it has been decided to amend the said Act to increase the amount of the said charge from one rupee and fifty paise to three rupees.

The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly.

By order,

R. M. CHAUHAN,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 2995 राजपत्र–(हि०)–2006–(6134)–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 172 सा० विधायी–2006–(6135)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।